

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी—

श्री प्रकाश चन्द पवन
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:

192/अपील/2016

तारीख दायरा

03.11.2016

तारीख निर्णय

30.03.2017

रामभरोस आ0 माधो जाति बैरवा निवासी ग्राम नाहरगंज तहसील नैनवां
जिला बून्दी (राजस्थान) —अपीलांट

— बनाम —

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार नैनवां जिला बून्दी (राजस्थान)

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 30.09.2016

तहसीलदार नैनवां अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधि0

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित—

अपीलांट की ओर से — श्री दयाकृष्ण शर्मा, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से — परोकार सरकार

—: निर्णय :-

यह अपील तहसीलदार नैनवां द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 63 रकबा 02 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम नाहरगंज तहसील नैनवां का अतिचारी मानते हुये बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 100/- रूपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व परोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर पूर्व में व वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है तथा कोई राजस्व बकाया नहीं है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं लिये गये। अपीलान्ट भविष्य में अतिक्रमण नहीं करेगा। अपीलान्ट ने पैनाल्टी की राशि भी जमा करा दी गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस के


समर्थन में RRD 2001 पेज 403 नजीर पेश की गई। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्त ने चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा सुनवाई का अवसर भी दिया गया है। अपीलान्त को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया था। जिसका अंकन अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकित है। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी के बयान भी लिये हैं। अपीलान्त ने अतिक्रमित भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है। कब्जा छोड़ने बाबत् पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज पत्रावली में नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्त ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है, अपीलान्त द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह चरागाह भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण कर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्त ने निवेदन किया है कि उसने विवादित भूमि पर पूर्व में व वर्तमान में अतिक्रमण नहीं किया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कब्जा अतिक्रमण छोड़ने बाबत् पटवारी या भू-अभिलेख निरीक्षक आदि की कोई रिपोर्ट या अन्य तथ्य पत्रावली में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को विधिवत् नोटिस दिया है तथा सुनवाई का अवसर भी दिया गया है। पटवारी के बयान भी लिये गये हैं। बयान पटवारी व रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त ने गत वर्ष भी अतिक्रमण किया गया था जिसका अंकन पटवारी रिपोर्ट के कॉलम केफियत में दर्ज है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गत वर्ष भी मि0 न0-1390 दिनांक 18.12.2015 से बेदखल भी किया गया था फिर भी अपीलान्त ने दुबारा अतिक्रमण करके कब्जा किया है। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी प्रमाणित होता है। अपीलान्त बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश बेदखली, फसल जप्ती, शास्ति एवं सिविल सजा कारावास का उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(प्रकाश चंद पवन)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बून्दी (राज0)